



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 828]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 10, 2017/आश्विन 18, 1939

No. 828]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2017/ASVINA 18, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 1231.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय (जन संपर्क अधिकारी) भर्ती नियम 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का नाम सीमा सुरक्षा बल (जन संपर्क अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय (जन संपर्क अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
"2, पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स के स्तर:— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन मैट्रिक्स के स्तर से संबंधित होंगे, जो इस नियम के उक्त अनुसूची के पूरक अंश के स्तर (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- नियमों की अनुसूची में,—
(क) स्तर (4) में स्तर शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-11 (रु० 67700-208700/-);

(ख) स्तर (11) में,— उप शीर्षक "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

(i) मद 'क' के उप मद (ii) के शब्दों, अंकों एवं अक्षर के लिए "वेतन बैंड -3

(रु० 15600-39,100/-) + ग्रेड वेतन 5400/- रु०" के स्थान पर शब्दों,

अंको एवं अक्षर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु० 56100-177500/-)" रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 17/118/2016-कार्गिक/सीसुबल]

विनोद कुमार, अवर सचिव (कार्गिक-III)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 17(अ) दिनांक 09 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2017

G.S.R. 1231(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Headquarters (Public Relation Officer) Recruitment Rules, 2015, namely:

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Headquarters (Public Relations Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Border Security Force, Headquarters (Public Relations Officer) Recruitment Rules, 2015, (hereinafter referred to as the said rules), for rule-2, the following rule shall be substituted, namely:—

"2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."
3. In the said rules, in the Schedule,
 - (A) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Level in the pay matrix
(4)
Level-11(Rs.67700-208700/-);

(B) in column (11), under sub-heading "Deputation(including short-term contract)",

- (i) in item (a), in sub-item(ii), for the words, figures and letters " Pay Band-3 (Rs.15600-39100/-) plus grade pay of Rs. 5400" the words, figures and letters "level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500/-)" shall be substituted;
- (ii) Note- 2 shall be omitted.

[F. No. 17/118/2016/Pers/BSF]

VINOD KUMAR, Under Secy. (Pers-III)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (i) vide notification number G.S.R. 17(1), dated the 9th January, 2015.